उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
Indian Council of Forestry Research & Education
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
(An autonomous Council under the Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India)
डाकघर : आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड, जबलपुर — 482 021
P.O. – R.F.R.C., Mandla Road, Jabalpur – 482 021.
Phone no. 0761 2840483, Fax. - 0761 - 2840484

E-TENDER DOCUMENT
FOR

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. एव 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य।

E-TENDER NOTICE No. Electric Sub-Station/2020(1)

Visit us at

https://eprocure.gov.in/eprocure/app and http://tfri.icfre.org

TROPICAL FOREST RESEARCH INSTITUTE
(*Indian Council of Forestry Research & Education*)
(An Autonomous Council under the Ministry of Environment Forests& Climate change, Govt. of India)
P.O. –R.F.R.C, Mandla Road, JABALPUR (M.P) – 482021

सत्यमेव जयते

F.No. e-tender/ Electric Sub-Station /Estate/TFRI/JBP/ Dated: /02/2020

Notice Inviting E-tender

e-tender is invited by **Tropical Forest Research Institute, Jabalpur** in Two bid system i.e. Qualifying/Technical bid and Financial bid for **"33/0.433 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य,100 के. व्ही. ए., 62.5 के. व्ही. ए. एव 26 के. व्ही. ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच.टी., ओ.एच.पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव कार्य"**

Schedule of Tender		
S No.	**Activity Description**	**Schedule**
1.	Tender No.	**Electric Sub-Station/2020(1)**
2.	Start date of submission of bid online	**14.02.2020 at 15.00 hrs.** The tender document is available only in the E-Procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app which may be downloaded by using bidder login credentials.
3.	Time and last date of submitting bid online	**10-03-2020 at 15.00 hrs**
4.	Time and Date of Opening of Technical Bid	**12-03-2020 at 15.00 hrs**
5.	Time and Date of Opening of Financial Bid	**It will be decided after Technical bid evaluation.**
6.	Amount of EMD to be deposited	**Rs. 25,000/-**

The contract will be initially for a period of one year. However, the contract may be extended subsequently, on mutual consent, and on same terms and conditions for a period of not more than six months at a time till the completion of processing of new tender on review of performance, depending upon the requirements and administrative conveniences of the office.

i. **The tender documents can be downloaded from the website of** https://eprocure.gov.in/eprocure/app and http://tfri.icfre.org for reference purpose only **in the given time period.**

ii. The intending and eligible bidders may submit the tenders online at https://eprocure.gov.in/eprocure/app in the prescribed proforma. **Tenders are to be submitted online** only using the e-procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app

iii. The Bidders who have not enrolled/registered in e-procurement portal should enroll/register before participating through the website https://eprocure.gov.in/eprocure/app.

iv. Interested bidders may submit their quotation online on https://eprocure.gov.in/eprocure/app as per the tender document in the https://eprocure.gov.in/eprocure/app. Bidders are requested to follow the instructions carefully as per the tender document and the instructions given in the above said website. All the documents in support of eligibility criteria etc. are also to be scanned and uploaded alongwith the Tender Documents. Tender sent by any other mode will not be accepted. No tender documents will be accepted after the expiry of stipulated date and time for the purpose under any circumstances what so ever. Any corrigendum/addendum regarding this tender will be available on the above said website only.

v. The applicant has to deposit Earnest Money (EMD) of **Rs. 25000/- (Rupees: Twenty five thousand only/-)** in the form of a Demand Draft (DD) or Fixed deposit Receipt (FDR) from Scheduled / Nationalized Bank drawn in favor of **Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur** and it has to be submitted before opening of bids to this office (Scanned copy of DD/FDR to be uploaded online) towards EMD failing which the bid will be rejected. Bidders are requested to write their name and full address at the back of DD/FDR.

vi. The aforesaid DD/FDR towards cost for EMD should be submitted to the tender inviting authority i.e., **Under Secretary, TFRI Jabalpur** by **post only** within the last date of online submission of bid.

vii. The duly filled-in tender documents shall not be accepted if they are not accompanied by the scanned copy of the DD/FDR towards the Tender fee and the requisite bid security (EMD).

viii. The Technical Bids will be opened online on **12-03-2020 at 15:00 hrs** by a Tender Opening Committee of this Office. At the first stage the technical bids shall be evaluated by the Tender Evaluation committee (TEC) constituted for the purpose by the office. At the second stage, the Financial Bids of only those bidders who qualify in the technical bid will be opened for which the date and time will be intimated later on. The Tender Evaluation Committee (TEC), after evaluation of the Financial Bids, will give its specific recommendation(s) regarding the lowest responsive bid, which is to be selected along with a comparative statement duly signed by the Members of the TEC.

ix. This Office reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to reject any or all tenders without giving any notice or assigning any reason. The decision of the **Director, Tropical Forest Research Institute, Jabalpur** in this regard shall be final and binding on all.

x. The Bidder is expected to examine all instructions, forms, specifications, terms and conditions in the Bid Documents. Failure to furnish all information and documents required as per the Bid Documents or submission of bids not substantially responsive to the Bid Documents in every respect will be at the Bidder's risk and shall result in rejection of the bid.

Under Secretary,
Tropical Forest Research Institute
Jabalpur

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड
जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)
फोन : 0761 - 2840010

निविदा प्रपत्र

1. **कार्य का नाम :**

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.ए. 62.5 के.व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी./एच. टी., ओ.एच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य।

2. **कार्य का विस्तृत विवरण :** उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

   (i) विद्युत सब स्टेशन के पैनल, फिडर पैनल व 2 x 750 के.व्ही.ए. तथा 2 x 315 के.व्ही.ए. आउट डोर तथा इन डोर ट्रॉंसफार्मर तथा उससे जुड़े हुए अन्य उपकरण शामिल हैं, के चालन एवं रख-रखाव कार्य।

   (ii) 100 के.व्ही.ए., 62.5 के.व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. के डीजल जनरेटर सेट एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के चालन एवं रख-रखाव का कार्य।

   (iii) परिसर अन्तर्गत एल.टी./ओ.एच. लाईन, केबल लाईन तथा उनसे जुड़े हुए खम्भों तथा स्ट्रीट लाईट एवं कम्पाऊन्ड लाईट के चालन एवं रख-रखाव का कार्य।

   (iv) संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री - पंखों, लाईट, एग्जास्ट फेन, प्वाईन्ट, प्लग प्वाईन्ट, पावर प्वाईन्ट, वाईरिंग, मेन सिवच, एम.सी.व्ही., विद्युत मीटर आदि के रख-रखाव का कार्य ।

3. **समय-सारणी :**

   (i) विद्युत सब स्टेशन एवं उससे जुड़े हुए उपकरणों के रख-रखाव हेतु चौबीस घंटे रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा।

   (ii) अन्य कार्यो के लिए सुबह 8.00 बजे से लेकर रात्रि 10.00 बजे तक रखरखाव कर्मी तैनात करना आवश्यक होगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

4. **निविदाकार का विवरण :**

(i) निविदाकार का नाम (यदि फर्म है, तो फर्म का नाम) : .....

(ii) निविदाकार के पिता का नाम
(यदि फर्म है तो फर्म के प्रोप्राईटर/भागीदारों के नाम) : .....

(iii) पत्र व्यवहार का पता : .....

(iv) फोन नम्बर : .....

(v) निविदाकार की श्रेणी/केटेगरी : .....

(vi) पंजीयन विवरण :

(अ) विभाग का नाम, जिसमें ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हैं : .....

(ब) पंजीयन क्रमांक : .....

(स) पंजीयन समाप्त होने की तिथि : .....

5. पिछले तीन वर्षो में केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में विद्युत रख-रखाव के रू. 3.00 लाख प्रतिवर्ष से ऊपर के सफलतापूर्वक पूर्ण किये गये ठेकों का विवरण :

अ.क्र. शासकीय विभाग/उपक्रम का नाम ठेका अवधि ठेके की राशि

1. .....
2. .....
3. .....

6. **वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रस्तावित निविदा मूल्य :**

1	Tender cost (Maintenance cost including labour payment on monthly basis)	Rs.	To be filled in financial bid
2	EPF (Monthly)	Rs.	
3	ESI (Monthly)	Rs.	
4	GST (Monthly)	Rs.	
5	Other (Monthly)	Rs.	
	Total (Monthly)	Rs.	

(अ) अंकों में - .....

(ब) शब्दों में - .....

7. **प्रतिभूति राशि जमा करने का विवरण :**

(अ) DD/FDR नम्बर : .....

(ब) DD/FDR जारी करने की दिनांक : .....

(स) DD/FDR जारी करने वाले बैंक का नाम तथा शाखा : .....
.....

(द DD/FDR की राशि : .....

8. **संलग्न किये गये प्रपत्र** (सभी प्रपत्र स्वप्रमाणित कर अपलोड करें। जो लागू नहीं हो उसको कृपया काट दें) :

(1) प्रतिभूति राशि हेतु DD/FDR

(2) पाटनरशिप डीड, पॉवर आफ एटार्नी की प्रति

(3) ठेकेदार के रूप में पंजीयन का प्रमाण-पत्र

(4) आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त आयकर क्लियरेन्स सर्टीफिकेट (विगत तीन वर्ष)

(5) EPF, ESI , GST & Small Scale Industries (SSI) का पंजीयन प्रमाण पत्र ।

(6) पिछले तीन साल में किए गये रख-रखाव कार्यो के प्रमाण-पत्रः .....

(7) अन्य प्रपत्र : .....

(8) निविदा प्रपत्र

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

FINANCIAL BID

i. The Tenderer shall be required to download BOQ sheet of this tender from CPP portal and the same is to be uploaded.

ii. Rate for each item needs to be filled in column. Leaving blank for any item i**s NOT** permitted in the financial bid form, in such cases the bid will be treated as non responsive and will be summarily rejected.

The BOQ format is given below :

1	Tender cost (Maintenance cost including labour payment on monthly basis)	Rs.
2	EPF (Monthly)	Rs.
3	ESI (Monthly)	Rs.
4	GST (Monthly)	Rs.
5	Other (Monthly)	Rs.
Total (Monthly)		Rs.

a. Total in figures ----------

b. Total in words ----------

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
पो.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड
जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

निविदा शर्ते

(1) **कार्य का नाम :**

33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशनो के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.ए., 62.5 के.व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर के अन्तर्गत एल.टी. /एच.टी., ओ.एच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य।

(2) **पात्रता :**

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत विद्युत ठेकेदार के रूप में उचित श्रेणी (रू.2.0 लाख से उपर) में पंजीकृत होना चाहिये। केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रम अन्तर्गत पंजीकृत उचित श्रेणी के विद्युत ठेकेदार भी निविदा भरने हेतु पात्र है। इसके अतिरिक्त **विद्युत चालन एवं रख-रखाव** का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है ।

(ii) निविदाकार को पिछले तीन वर्षो का **विद्युत चालन एवं रख-रखाव** 33 के.व्ही विद्युत सब स्टेशन के रख-रखाव के रू. 3.00 लाख से ऊपर के वार्षिक रख-रखाव के ठेकों को संतोषजनक रूप से पूरा करने अथवा 33 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के स्थापना के रू. 2.00 लाख से उपर के ठेकों को निस्पादित करने का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ पिछले तीन वर्षो में किये गये कार्यो के कार्य आदेश एवं कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर क्लियरेन्स सर्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। (विगत तीन वर्ष)

(iv) यदि निविदाकार फर्म के रूप में पंजीकृत है तो फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(v) निविदाकार को EPF, ESI, GST & Small Scale Industris (SSI) में पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(vi) निविदाकार ने Tender cost में EPF, ESI, GST एवं अन्य कोई राशि सम्मिलित की है, तो उसे स्पष्ट रूप से अलग-अलग दर्शाना अनिवार्य है । साथ ही निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से भरना भी अनिवार्य है।

(vii) अनुक्रमांक (i) से (vi) का पालन न करने पर निविदा अमान्य होगी।

(3) **प्रतिभूति राशि :**

(i) निविदा के साथ रू. **25,000/-** (रूपये पच्चीस हजार मात्र) का शेड्यूल्ड बैंक द्वारा "**Director, TFRI, Jabalpur**" के नाम पर देय Demand Draft (DD)/Fixed Deposit Receipt(FDR) संलग्न करना अनिवार्य है। DD/FDR विज्ञापन दिनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये।

(ii) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से **90 दिन** के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

(iii) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पॉच एवं छः के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं परफार्मेन्स सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उसकी प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(4) **निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।**

(5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से **एक माह** के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा सफल निविदाकार के अनुरोध पर एक सप्ताह के लिए और बढ़ा सकते हैं, यदि वे निविदाकार द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट हैं।

(6) **परफार्मेन्स सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अथवा रू. 25,000/-, इनमें से जो भी अधिक हो, परफार्मेन्स सिक्यूरिटी कॉल डिपॉजिट अथवा बैंक ग्यारंटी के रूप में जो कि अनुबन्ध की दिनांक से 24 माह तक के लिए वैध होगी , जमा करनी होगी।

(7) **प्रतिभूति राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से **एक माह** के अन्दर निविदा शर्त क्र. 5 एवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं एवं परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(8) **कार्य आदेशः** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेन्स सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।

(9) **निविदा की अवधि :**

(i) निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के **अगले माह** की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेन्डर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी ।

(ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तो एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर **नये निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक** के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**

(i) यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से परफार्मेन्स सिक्यूरिटी की पूर्ण राशि राजसात करने का अधिकार होगा। साथ ही निविदाकार को पॉच वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।

(ii) यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के नोटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेन्स सिक्यूरिटी को पूर्ण रूप से राजसात करने का अधिकार होगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(11) **भुगतान का तरीका :** ठेकेदार को भुगतान सामान्यतः मासिक रूप से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की सात तारीख तक विगत माह का भुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी माह भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(12) **स्त्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप स्त्रोत पर ही आयकर की कटौती की जावेगी।

(13) **रखरखाव कर्मियों का नियोजन :**

(i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु कम से कम पांच रखरखाव कर्मी., जिनकी बिजली संबंधित कार्यो की कुशलता के अनुसार (01 कुशल, 02 अर्द्ध-कुशल एवं 02 अकुशल) रखना होगा, जिससे रखरखाव का कार्य सुचारू रूप से चल सके। ठेकेदार मार्गो के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत केवल कार्य के नियोजन के श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत एवं समय समय पर श्रम आयुक्त, जबलपुर द्वारा जारी प्रचलित दर पर कर्मियों को भुगतान **केवल बैंक के माध्यम से (चेक, NEFT/RTGS इत्यादि) एवं इसकी रसीद की प्रति हर माह संस्थान में जमा करना होगा**। कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर, ठेका अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। इन नियमों के अनुरूप जो भी अभिलेख संधारित किये जाते हैं वे भी संधारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी।

(ii) निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान रखरखाव कर्मियों को होना संभव न हो तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जोवगी।

(iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी को ठेके के दौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में अथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी

(iv) 33/0.433 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन के चालन एवं रख-रखाव कार्य, 100 के.व्ही.ए. 62.5 के. व्ही.ए. एवं 26 के.व्ही.ए. डीजल जनरेटर के चालन एवं रख-रखाव कार्य, संस्थान परिसर अन्तर्गत एल.टी. /एच.टी., ओ.एच. पॉवर लाईन, फीडर खम्भों तथा संस्थान के आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में लगी विद्युत सामग्री के रख-रखाव का कार्य के अनुरूप उचित रूप से प्रशिक्षित तथा शासकीय संस्थान/विभाग में 5 वर्षो का 33 के. व्ही. विद्युत सब स्टेशन में कार्य का अनुभव प्राप्त कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायेगा। कुशल रखरखाव कर्मियों के पास आवश्यक शैक्षणिक अर्हता आदि के प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

(v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे। साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक ड्यूटी चार्ट भी उस माह की एक तारीख को सम्पत्ति अनुभाग प्रभारी को प्रस्तुत किया जावेगा। ठेकेदार द्वारा प्रत्येक रखरखाव कर्मियों को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा।

(vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करेंगे। यदि रखरखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को ऐसे रखरखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा एवं उसके स्थान पर दूसरे रखरखाव कर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी।

(vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को कार्य के दौरान अथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोट पहुँचती है/आकस्मिक निधन होता है एवं श्रम नियमों के अनुरूप यदि रखरखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी। संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

(viii) ठेकेदार अपने रखरखाव कर्मियों में से किसी एक को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा जो कि कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नोटिस, स्मरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत् सम्पर्क में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

(ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को **प्रतिमाह** नियमानुसार भुगतान **(केवल बैंक के माध्यम से - चेक, NEFT/RTGS इत्यादि)** करके, भुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन **दो माह के अन्दर** करवाकर देना होगा।

(xii) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का शासन के नियमानुसार EPF & ESI (प्रचलित दर के अनुसार) संबंधित विभागों में प्रतिमाह जमा करवाकर उसकी एक प्रति संस्थान को देना होगा।

(14). **कार्य का विस्तृत विवरण :**

(a) विद्युत सब स्टेशन का चालन एवं रख-रखाव : ठेकेदार, विद्युत सब स्टेशन में स्थापित सभी उपकरणों की साफ-सफाई तथा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। खासतौर से ऐसे उपकरण जो कि पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी तथा ठेकेदार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। **संस्थान परिसर में स्थित 33 के.व्ही. लाईन /केबल में किसी प्रकार की खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा शीघ्र निराकरण व मरम्मत कार्य करना होगा, इसमें लगने वाली सामग्री जैसे केवल, वायर व ज्वाइंट किट आदि संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी। टूल ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर लाने होंगे।** ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि इलेक्ट्रिक पेनल के इलेक्ट्रोड्स आदि की साफ-सफाई रखे तथा सभी उपकरणों के नट-बोल्ट आदि टाईट रखे। फ्यूज वायर, रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक आईल तथा ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू , वासर आदि को छोड़ कर सभी सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी। रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी।

(b) स्ट्रीट एवं केम्पस लाईट का चालन एवं रख-रखाव : ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि संस्थान परिसर अन्तर्गत सभी स्ट्रीट लाईट, केम्पस लाईट चालू हालत में रहें। आश्यकता पड़ने पर ठेकेदार द्वारा केबल वायर, तार, बल्व, चोक, स्टार्टर आदि बदले जायेंगे। इस कार्य हेतु फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू, वासर आदि को छोड़कर समस्त सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी। रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी।

(c) आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन एवं सामग्री का रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत लाईन, सभी विद्युत प्वाईट, पावर प्वाईट तथा उनमें लगे विद्युत सामग्री - पंखों, रेग्युलेटर, बल्व, ट्यूब लाईट, एग्जास्ट फेन आदि चालू हालत में रखने होंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर लाईन बदलना, पंखे, ट्यूब लाईट आदि को बदलने एवं उनका रोजमर्रा का रख-रखाव का कार्य जिसमें पंखे, एग्जास्ट फेन आदि की आईलिंग एवं ग्रीसिंग ब्रुश बियरिंग आदि बदलने का कार्य भी शामिल है, करना पड़ेगा। **संस्थान में आवश्यकतानुसार नये पाइंटों की वायरिंग करना व लगाने का कार्य भी ठेकेदार को करना होगा, इसके लिये सामग्री संस्थान द्वारा प्रदाय की जावेगी।** फ्यूज वायर, आईल एवं ग्रीस, कील, नट-बोल्ट, स्क्रू , वासर आदि को छोड़कर जो भी सामग्री लगेगी वह संस्थान द्वारा प्रदाय की जायेगी। पंखे की वाईडिंग जलने पर यह कार्य संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा। इसी प्रकार विद्युत मीटर की रोजमर्या की मरम्मत का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। विशेष मरम्मत संस्थान द्वारा अलग से कराया जावेगा। ठैकेदार को आवासीय/गैरआवासीय भवनों की मासिक रीडिंग में संस्थान के कर्मचारियों की मदद करनी होगी रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु आवश्यक उपकरण/टूल किट ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर ही रखी जावेगी

(d) डीजल जनरेटर सेट का चालन एवं रख-रखाव : इस कार्य अन्तर्गत ठेकेदार को विद्युत व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होने पर निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी के निर्देश पर जनरेटर सेट चलाकर विद्युत प्रदाय करना होगा। जनरेटर सेट हेतु डीजल संस्थान द्वारा प्रदाय किया जायेगा। ठेकेदार जनरेटर के रोजमर्रा के रख-रखाव और आयलिंग, ग्रीसिंग आदि के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

(15) **भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स :**

रोजमर्रा के रख-रखाव हेतु कंडिका (14) में उल्लेखित सामग्री को छोड़कर अन्य भण्डार सामग्री एवं पार्ट्स, फिटिंग्स आदि संस्थान द्वारा प्रदाय किये जायेंगे। परन्तु, इन सामग्री, पार्ट्स हेतु ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति अधिकारी को लिखित में सामग्री एवं पार्ट्स के पूर्ण विवरण सहित सूचना देनी होगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(16) **शिकायतों का निराकरण :**

आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों की विद्युत शिकायतों हेतु एक रजिस्टर रखा जावेगा जिसमे कि रहवासियों/कार्यालयीन कर्मचारियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जावेगी । ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि रोजमर्रा की सभी शिकायतों को छः घंटे के अंदर ठीक किया जावे एवं इस कार्य हेतु पर्याप्त रखरखाव कर्मी रखे जावे। यदि ठेकेदार द्वारा शिकायतों को ठीक करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो इसको ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं उक्त कार्य ठेकेदार के व्यय पर करा लिया जावेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे कराये गये कार्य के लिए, कार्य के महत्व के अनुरूप जुर्माना किया जावेगा जो कि रू.2,000/- प्रति प्रकरण तक हो सकती है । उक्त व्यय एवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जायेगी। इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

(17) **उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :**

(i) ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्ति के उपरान्त सभी उपकरण आदि चालू एवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेंगे। ऐसे उपकरण जो कि चालन एवं रख-रखाव हेतु ठेकेदार को सौंपे गये हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(ii) स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा एवं कार्य पर किया गया व्यय ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रकरण में रू. 2,000/- का जुर्माना भी किया जायेगा।

(iii) यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेन्स सिक्योरिटी से काटी जावेगी। यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेन्स सिक्यूरिटी से भी ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया भू-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जावेगा।

(18) **एम.पी.ई.बी. से सामन्जस्य** : किसी प्रकार के मरम्मत कार्य हेतु एच.टी. लाईन को बन्द करने हेतु एम.पी.ई.बी. से सम्पर्क करने की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी।

(19) **लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार :** एम.पी.ई.बी. को नियमों के अनुरूप देय लाईसेन्स फी एवं अन्य प्रभार की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी।

(20) **न्यायालय का अधिकार क्षेत्र :** यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

दिनांक : (निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान : निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 20 तक का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवं उनको भलीभाँति समझ लिया गया है एवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक :
स्थान :

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

गवाह -

(1) हस्ताक्षर :.....

नाम : .....

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....

(2) हस्ताक्षर :.....

नाम : .....

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....